

10.11.17

कोई उपास्येत नहीं। वादी व उनके अभिभाषक
को कोई वाद भावाजें लगवाई गयी। वाद-वाद
आवाज लगवाने पर भी वादी व उनके अभि०
उपास्येत नहीं। साथे क्षत्र दावा वादी क्षत्र
हाजरी व क्षत्र परवी में रखा प्रेज किया
जाता है। पत्रावली केशल शुभार होकर
शाखिल दफतर है।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)